न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 104/2025

श्री मनोज कुमार सिन्हा, खाद्य संरक्षा अधिकारी, उप रेल्वे, अजमेर
(कार्यालय अभिहित अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा निदेशक, चिकित्सा विभाग, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय), जयपुर)

..........प्रार्थी

बनाम

1. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मोहन दास (वेण्डर), रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल नम्बर 12, मैसर्स साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन, प्लेटफार्म नम्बर 4/5, रेल्वे स्टेशन, अजमेर।
   (स्थायी पता – एल–74, विवेकानन्द कॉलोनी, अजय नगर, अजमेर) **(खाद्य कारोबारकर्ता/वेण्डर)**
2. मैसर्स साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन प्रोपराईटर श्री पुत्ती श्रीनिवास राव पुत्र श्री पुत्ती मधूसूदन राव, रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल नम्बर 12, मैसर्स साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन, प्लेटफार्म नम्बर 4/5, रेल्वे स्टेशन, अजमेर।
   (स्थायी पता – डीआर नम्बर 24–8–2, पीवी राजू स्ट्रीट, रामनगर, गांधीनगर, विजयवाड़ा पिन 520003 एपी) **(खाद्य कारोबारकर्ता/लाईसेन्सी)**
3. श्री सुरेश कुमार मोहनानी पुत्र श्री कृष्णचन्द मोहनानी (नॉमिनी), रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल नम्बर 12, मैसर्स साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन, प्लेटफार्म नम्बर 4/5, रेल्वे स्टेशन, अजमेर।
   (स्थायी पता – 3/191, एमआईजी बी ब्लॉक, पंचशील नगर, अजमेर जिला अजमेर **(खाद्य कारोबारकर्ता/प्रोपराईटर)**
4. मैसर्स जयशंकर एन्टरप्राइजेज, प्लॉट नम्बर 11, चर्च रोड, पालबीचला, अजमेर जिला अजमेर।
   (खाद्य कारोबारकर्ता/वितरक)
5. श्री भगवान झामनानी पुत्र श्री आत्माराम झामनानी (प्रोपराईटर), जयशंकर एन्टरप्राइजेज, प्लॉट नम्बर 11, चर्च रोड, पालबीचला, अजमेर जिला अजमेर।
   (निवास – 02/21, भांग बावड़ी, कुम्हार मौहल्ला, अजमेर जिला अजमेर।
   (खाद्य कारोबारकर्ता/वितरक)
6. मैसर्स फ्लेक फूड एण्ड ब्रेवरेजस –मार्केटिंग (पूर्व में मैसर्स सादीऑरा ब्रदर्स) सुनाम रोड, लोंगोवाल, लेहरगागा, सुमम एण्ड मॉक, संगरूर (पंजाब)
   (मार्केटिंग का पता – 837, हुडा मार्केट के सामने, सेक्टर 38, गुड़गाँव (हरियाणा) **(खाद्य कारोबारकर्ता/वितरक – 02)**
7. मैसर्स एसबी पेट इण्डस्ट्रीज, धादरेन रोड, ग्राम झारून, सुनाम, जिला संगरूर (पंजाब) **(खाद्य कारोबारकर्ता/निर्माता)**
8. श्रीमती संतोष रानी पत्नी श्री परवीन कुमार (प्रोपराईटर एण्ड नॉमिनी), मैसर्स एसबी पेट इण्डस्ट्रीज, धादरेन रोड, ग्राम झारून, सुनाम, जिला संगरूर (पंजाब)
   (256, वार्ड नम्बर 05, टोगावाल, धादरेन, जिला संगरूर (पंजाब) **(खाद्य कारोबारकर्ता/निर्माता प्रोपराईटर)**

........अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

उपस्थित : अप्रार्थी सं 1, 3 व 5

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

: आदेश :–

दिनांक– 30.04.2026

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य संरक्षा अधिकारी, उप रेल्वे, अजमेर कार्यालय अभिहित अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा विभाग, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय) जयपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) फ्रूट ड्रिंक मैंगो फ्लेक का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति पदस्थापन आदेश, माल खरीद बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद, खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट, व अन्य दस्तावेजों की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.11.2024 को 15:150 पीएम पर खाद्य संरक्षा अधिकारी अजमेर स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर 4/5 पर रिफ्रेशमेन्ट स्टाल सं 12, मैसर्स साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन के निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री सुरेश कुमार मौके पर उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय फ्रूट ड्रिंक मैंगो फ्लेक के कम्पनी सील्ड व पैक्ड (600 मिली) आम जनता कों विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त फ्रूट ड्रिंक मैंगो फ्लेक के कम्पनी सील्ड व पैक्ड (600 मिली) की गुणवत्ता का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 08 पॉलीपेट बोतल (प्रत्येक 600 मिली) 320/– रूपयें श्री सुरेश कुमार को नगद देकर गवाह श्री गोपाल आर के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा फ्रूट ड्रिंक मैंगो फ्लेक को बराबर बराबर मात्रा में विभाजित कर चार नमूना भाग तैयार कर विक्रेता के सामने लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी उ प रेल्वे जयपुर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर एन डब्ल्यू आर 1316 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् मौके पर ही फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार की। सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, राजस्थान अजमेर को श्री गोपाल आर अस्पताल सहायक के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, अजमेर को को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं अति. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप रेल्वे, जयपुर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य संरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप रेल्वे, जयपुर के पत्र क्रमांक मेड/एच/605/एफएसएसए/लैब रिपोर्ट्स/एनडब्ल्यूआर–1316 दिनाक 04.12.2024 के अनुसार खाद्य विश्लेषक, राजस्थान अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/343/एक्ट/2024/1369 दिंनाक 28.11.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया फ्रूट ड्रिंक मैंगो फ्लेक अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार द्वारा पुनः जाँच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर खाद्य संरक्षा अधिकारी ने

न्याय निर्णायक अधिकारी
अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 14.11.2025 को प्रस्तुत किया।

खाद्य संरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 14.11.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी को अप्रार्थीगण की ओर से 01, 03 व 05 ने उपस्थित होकर लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर बहस का निवेदन किया। उनकी बहस सुनी गयी। अप्रार्थी सं 1 से 3 ने निवेदन किया कि उत्पाद का सैम्पल अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) होने के कारण परिवाद प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा उक्त उत्पाद का निर्माण नही किया जाता है, केवल रिटेलर के रूप में क्रय विक्रय किया जाता है। उत्पाद का निर्माण सम्बन्धित निर्माता कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा उत्पाद को उनके द्वारा सीलबन्द अवस्था में विधिवत बिल द्वारा क्रय किया गया है, उत्पाद की गुणवत्त व मानक से सम्बन्धित समस्त उत्तर दायित्व निर्माता कम्पनी का है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं 4 व 5 ने निवेदन किया कि उनके द्वारा उक्त उत्पाद का निर्माण नही किया जाता है, केवल वितरक के रूप में क्रय विक्रय किया जाता है। उत्पाद का निर्माण सम्बन्धित निर्माता कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा उत्पाद को उनके द्वारा सीलबन्द अवस्था में विधिवत बिल द्वारा क्रय किया गया है, उत्पाद की गुणवत्त व मानक से सम्बन्धित समस्त उत्तर दायित्व निर्माता कम्पनी का है। अप्रार्थी सं 6, 7 व 8 ने निवेदन किया कि उनके द्वारा निर्मित उत्पाद को लेबल पर घोषित टीएसएस/चीनी के प्रतिशत में कमी के कारण सब स्टेण्डर्ड (अवमानक) घोषित किया गया है। टीएसएस, फल के गूदे और मिलायी गयी चीनी से प्राप्त होता है। उनके द्वारा उत्पाद की गुणवत्ता के विशेष प्रयास किये जा रहे है। डिजीटल रिफ्रेक्टोमीटर द्वारा फॉर्मूलेशन व टीएसएस मानक की दोहरी जाँच की जा रही है तथा गुणवत्ता नियन्त्रण को सुदृढ़ किया गया है तथा टीएसएस परीक्षण की आवृत्ति बढ़ा दी गयी है।

हमने पत्रावली एवं खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्युत्तर व लिखित बहस का अवलोकन किया। खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया फ्रूट ड्रिंक मैंगो फ्लेक अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया फ्रूट ड्रिंक मैंगो फ्लेक अवमानक सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपराध कारित किया है, अतः अप्रार्थी को न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। उपरोक्त प्रावधान को मद्वेनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर **निम्नानुसार** शास्ति आरोपित की जाती है –

1. निर्माता **M/s SB Pet Industry, Dhadrain Road, Village Jharoon, Sunam, Dist. Sangrur (PB) 148106** (अप्रार्थी सं 7) एवं उनके प्रोपराईटर/नॉमिनी अप्रार्थी सं 8 श्रीमती संतोष रानी पत्नी श्री परवीन कुमार पर संयुक्त रूप से रू. 50,000/– (रू. पचास हजार मात्र)
2. वितरक मैसर्स जयशंकर एन्टरप्राइजेज, प्लॉट नम्बर 11, चर्च रोड, पालबीचला, अजमेर जिला अजमेर (अप्रार्थी सं 4), इसके प्रोपराईटर श्री भगवान झामनानी (अप्रार्थी सं 5) तथा वितरक सं 2 मैसर्स फ्लेक फूड एण्ड ब्रेवरेज (अप्रार्थी सं 6) पर संयुक्त रूप से रू. 15,000/– (रू. पन्द्रह हजार मात्र)

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

3. विक्रेता (1) श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मोहन दास (2) श्री सुरेश कुमार मोहनानी पुत्र श्री किशनचन्द (नॉमिनी) रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल नम्बर 12, मैसर्स साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन, प्लेटफार्म नम्बर 4/5, रेल्वे स्टेशन, अजमेर तथा रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल नम्बर 12, मैसर्स साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन, प्लेटफार्म नम्बर 4/5, रेल्वे स्टेशन, अजमेर। (अप्रार्थी सं 1 से 3) पर संयुक्त रूप से रू. 5,000/–

अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 30.04.2026 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 30.04.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2026/1862–73 दिनांक : 01/05/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय), जयपुर
3. अभिहित अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय) जयपुर
4. खाद्य संरक्षा अधिकारी, मण्डल रेल्वे अस्पताल, ब्यावर रोड, अजमेर।
5. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मोहन दास (वेण्डर), रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल नम्बर 12, मैसर्स साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन, प्लेटफार्म नम्बर 4/5, रेल्वे स्टेशन, अजमेर।
   (स्थायी पता – एल–74, विवेकानन्द कॉलोनी, अजय नगर, अजमेर) **(खाद्य कारोबारकर्ता/वेण्डर)**
6. मैसर्स साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन प्रोपराईटर श्री पुत्ती श्रीनिवास राव पुत्र श्री पुत्ती मधूसूदन राव, रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल नम्बर 12, मैसर्स साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन, प्लेटफार्म नम्बर 4/5, रेल्वे स्टेशन, अजमेर।
   (स्थायी पता – डीआर नम्बर 24–8–2, पीवी राजू स्ट्रीट, रामनगर, गांधीनगर, विजयवाड़ा पिन 520003 एपी) **(खाद्य कारोबारकर्ता/लाईसेन्सी)**
7. श्री सुरेश कुमार मोहनानी पुत्र श्री कृष्णचन्द मोहनानी (नॉमिनी), रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल नम्बर 12, मैसर्स साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन, प्लेटफार्म नम्बर 4/5, रेल्वे स्टेशन, अजमेर।
   (स्थायी पता – 3/191, एमआईजी बी ब्लॉक, पंचशील नगर, अजमेर जिला अजमेर **(खाद्य कारोबारकर्ता/प्रोपराईटर)**
8. मैसर्स जयशंकर एन्टरप्राइजेज, प्लॉट नम्बर 11, चर्च रोड, पालबीचला, अजमेर जिला अजमेर।
   (खाद्य कारोबारकर्ता/वितरक)
9. श्री भगवान झामनानी पुत्र श्री आत्माराम झामनानी (प्रोपराईटर), जयशंकर एन्टरप्राइजेज, प्लॉट नम्बर 11, चर्च रोड, पालबीचला, अजमेर जिला अजमेर।
   (निवास – 02/21, भांग बावड़ी, कुम्हार मौहल्ला, अजमेर जिला अजमेर।
   (खाद्य कारोबारकर्ता/वितरक)ण
10. मैसर्स फ्लेक फूड एण्ड ब्रेवरेजस –मार्केटिंग (पूर्व में मैसर्स सादीऑरा ब्रदर्स) सुनाम रोड, लोंगोवाल, लेहरगागा, सुमम एण्ड मॉक, संगरूर (पंजाब)
    (मार्केटिंग का पता – 837, हुडा मार्केट के सामने, सेक्टर 38, गुड़गाँव (हरियाणा) **(खाद्य कारोबारकर्ता/वितरक – 02)**
11. मैसर्स एसबी पेट इण्डस्ट्रीज, धादरेन रोड, ग्राम झारून, सुनाम, जिला संगरूर (पंजाब)
    (खाद्य कारोबारकर्ता/निर्माता)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी
अजमेर
सत्यमेव जयते

12. श्रीमती संतोष रानी पत्नी श्री परवीन कुमार (प्रोपराईटर एण्ड नॉमिनी), मैसर्स एसबी पेट इण्डस्ट्रीज, धादरेन रोड, ग्राम झारून, सुनाम, जिला संगरूर (पंजाब)

(256, वार्ड नम्बर 05, टोगावाल, धादरेन, जिला संगरूर (पंजाब) **(खाद्य कारोबारकर्ता / निर्माता प्रोपराईटर)**

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर